

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली

निदेशक कार्यालय

फा.सं. 40-30/2025-स्था।

18.03.2025

विषय: सीजीएचएस के अंतर्गत एम्स कर्मचारियों को कवर करने से संबंधित मामले पर विचार करने हेतु समिति के गठन संबंधी।

एम्स के विभिन्न संकाय-सदस्यों एवं स्टाफ द्वारा अधोहस्ताक्षरी से संपर्क किया गया है, जिसमें सीजीएचएस के अंतर्गत एम्स कर्मचारियों को कवर करने हेतु अनुरोध किया गया है ताकि स्टाफ तथा उनके परिजन देश भर में स्वास्थ्य उपचार सुविधाओं का लाभ उठा सकें। एम्स के स्टाफ सदस्यगण तथा उनके परिजन यह भी अनुरोध कर रहे हैं कि चूंकि सीजीएचएस लाभार्थियों को अब एम्स, नई दिल्ली में कैशलेस उपचार की अनुमति प्रदान की गई है, इसलिए एम्स स्टाफ सदस्यगण के लिए भी शीघ्र ही एक प्रतिकर (क्विड प्रो क्वो) व्यवस्था लागू की जानी चाहिए।

जबकि एम्स की कर्मचारी स्वास्थ्य योजना को बेहतर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, सीजीएचएस के पैनल में शामिल अस्पतालों में एम्स कर्मचारियों के उपचार की सुविधा के विस्तार हेतु विभिन्न हितधारकों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई एवं बातचीत करने की आवश्यकता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, निम्नलिखित समिति गठित की गई है:

- प्रो. मनीष सिंघल, अध्यक्ष, बर्न्स एवं प्लास्टिक सर्जरी विभाग - अध्यक्ष
- प्रो. निरुपम मदान, चिकित्सा अधीक्षक - सह-अध्यक्ष
- प्रो. अचल श्रीवास्तव, तंत्रिका विज्ञान विभाग - सदस्य
- प्रो. संजय राय, सामुदायिक चिकित्सा विभाग - सदस्य
- प्रो. पीयूष रंजन, काय चिकित्सा विभाग - सदस्य
- फेम्स के प्रतिनिधि
- ऑफिसर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधि
- नर्सिस यूनियन के प्रतिनिधि
- कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधि
- प्रशासनिक अधिकारी (अस्पताल) - सदस्य-सचिव

प्रो. एम. श्रीनिवास
निदेशक

वितरण (इसे अपने नियंत्रणाधीन अधिकारियों/स्टाफ को भी परिचालित करने के अनुरोध सहित)

1. संकायाध्यक्ष (शैक्षिक, अनुसंधान, परीक्षा)
2. अपर निदेशक (प्रशासन)
3. चिकित्सा अधीक्षक (एम्स)
4. सभी केंद्र प्रमुखगण/अध्यक्ष, एनसीआई इज्जर
5. सभी विभागाध्यक्षगण
6. वरिष्ठ वित्त सलाहकार
7. प्रभारी आचार्य, कंप्यूटर सुविधा
8. फेम्स/ ऑफिसर्स एसोसिएशन/ नर्सिस यूनियन/स्टूडेंट्स यूनियन/एसवाईएस/ कर्मचारी यूनियन

ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, NEW DELHI
OFFICE OF DIRECTOR

F. No. 40-30/2025-Estt.I

18.03.2025

Sub: Constitution of a committee to peruse the matter related to coverage of AIIMS employees under CGHS reg.

The undersigned has been approached by various faculty & staff of AIIMS, requesting for coverage of AIIMS employees under the CGHS to enable the staff & their family members to avail healthcare facilities across the Country. AIIMS employees and their families are also requesting that as CGHS beneficiaries are now allowed cashless treatment at AIIMS New Delhi, a quid pro quo arrangement should be immediately put in place for the AIIMS employees as well.

While the numerous steps have been taken to improvise the Employee Health Scheme of AIIMS, extension of facility of treatment of AIIMS Employees at CGHS empanelled hospitals required regular follow-up and interaction with numerous stakeholders. To facilitate the same, the following committee is constituted:

- Prof. Maneesh Singhal, Head, Dept of Burns & Plastic Surgery – Chairperson
- Prof. Nirupam Madan, Medical Superintendent – Co-Chairperson
- Prof. Achal Srivastava, Dept. of Neurology – Member
- Prof. Sanjay Rai, Dept. of Community Medicine – Member
- Prof. Piyush Ranjan, Dept. of Medicine – Member
- Representative of FAIIMS
- Representative of Officers Association
- Representative of Nurses Union
- Representative of Karamchari Union
- Administrative Officer (H) - Member Secretary

 18/3/2025

Prof. M Srinivas
Director

Distribution (with a request to also circulate it to all officials under their control)

1. Dean/s (Academic, Research, Examination)
2. Addl. Director (Admin)
3. Medical Superintendent (AIIMS)
4. Chiefs' of all Centres / Head, NCI Jhajjar
5. Heads' of all Departments
6. Sr. Financial Advisor
7. Prof. I/c Computer Facility
8. FAIIMS / Officers Association / Nurses Union / Students Union / SYS / Karamchari Union